भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.

...ND RUPEES

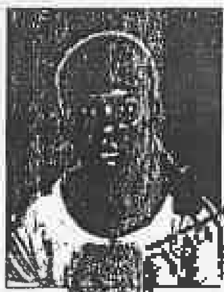

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 300911

30 NOV 2009

1. भूमि का प्रकार- आवासीय
2. वार्ड / परगना - हवेली परगना आगरा
3. मोहल्ला- ग्राम लश्कर पुर मुहल्ला छोटे लाल खत्ता नम्बर एक तहसील व जिला आगरा।
4. सम्पत्ति का विवरण- भूमि नॉन जेड. ए. मिनजुमला खेत संख्या 318 से 324 व 832 व 833 ग्राम लश्कर पुर मुहल्ला छोटे लाल खत्ता नम्बर एक कॉरपोरेशन संख्या 28/232-ए
5. सड़क की चौड़ाई- वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 277.58
7. इलाके की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)- लागू नहीं
8. अन्य विवरण (जैसे मोटर शेड / कार्नर आदि)-
   - कॉर्नर - नहीं
   - दो मार्ग - नहीं
   - पार्क फेसिंग - नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार- पैतृक मकान
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में)- लागू नहीं
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल- 10.20
12. स्थिति - निर्मित / अर्धनिर्मित / अन्य- लागू नहीं
13. पेड़ों का मूल्यांकन- लागू नहीं
14. बोरिंग / कुआँ / अन्य- लागू नहीं

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

For B... Foundry

... Signatory

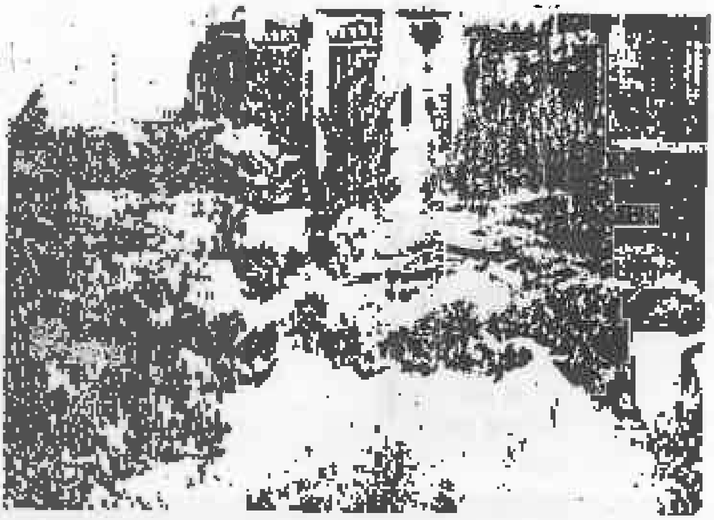

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

A 300912

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 NOV 20..

15. निर्मित क्षेत्रफल– 18.29
16. निर्माण का वर्ष– वर्ष 1980 से पूर्व
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं
18. [illegible]फल की धनराशि– 34,50,000/– चौंतीस लाख पचास हजार रुपयों में।
19. चौहद्दी–

दिशायें–	सीमायें–
पूर्व–	मकान अन्य व्यक्ति।
पश्चिम–	कुछ भाग में मकान श्री महावीर प्रसाद व शेष भाग में मुकम्मल श्री बी सी. आयरन फाउण्ड्री।
उत्तर–	मुकम्मल श्री बी सी. आयरन फाउण्ड्री।
दक्षिण–	कुछ भाग में मकान श्री महावीर प्रसाद व शेष भाग में सड़क आम. इस ओर निकास आदि कुल मकान के है।

FOR ... LTD.

FOR SURYA N?RABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For B.C. ... Foundry

Auth. Signatory

Priti Bansal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 300913

30 NOV 20..

प्रथम पक्ष की संख्या (दो), विक्रेतागण का विवरण–

1. नाम–

1.1 श्री जुगल किशोर अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री विष्नु प्रसाद अग्रवाल, व्यवसाय– व्यापार व

1.2 श्रीमती वीना अग्रवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विष्नु प्रसाद अग्रवाल, व्यवसाय– व्यापार व

1.3 कुमारी सन्धी अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री विष्नु प्रसाद अग्रवाल, व्यवसाय– व्यापार
निवासीगण 26/232 ए सुल्तानगंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय– विद्यार्थी व

1.4 श्रीमती प्रीति अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री विष्नु प्रसाद अग्रवाल धर्मपत्नी श्री भरत बंसल
निवासिनि 1/63, गान्धनगर शहर आगरा व्यवसाय– व्यापार

2. नाम– मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री (भागीदारी अधिनियम वर्ष 1932 व उसके संशोधनों के अंतर्गत गठित एवं पंजीकृत भागीदारी फर्म, कि जिसका अंतिम संविधान द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 30/07/2000 को संशोधित हुआ है) पंजीकृत कार्यालय स्थित सुल्तानगंज आगरा द्वारा वर्तमान भागीदारगण–

2.1 श्री नंद किशोर गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल निवासी 26/239, सुल्तान गंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय– व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री संजय कुमार

FOR SURYA ... PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For B.C. Iron Foundry

Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 300914

30 NOV

अग्रवालपुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी–147, सैक्टर–26, नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक 23/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 91 पृष्ठ संख्या 293 से 302 क्रमांक 64 पदफुतार उप निबन्धक पंचम आगरा व

2.2 श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल उक्त निवासिन 26/229, सुल्तान गंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय– व्यापार द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी–147, सैक्टर–26, नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक 23/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 9/ पृष्ठ संख्या 293 से 302 क्रमांक 63 पदफुतार उप निबन्धक पंचम आगरा।

द्वितीय पक्ष की संख्या (एक), क्रेता का विवरण

नाम– मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड (कम्पनीज अधिनियम वर्ष 1956 के प्राविधानों के अनुसार इनकॉरपोरेटेड कम्पनी, इनकॉरपोरेशन संख्या यू 45400 यूपी

FOR S... DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For ... Foundry

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु Rs

TWENT[illegible] [illegible]PEES

A 300107

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 19 NOV 2009

[illegible] पी.डीसी 035002 वर्ष 2008–2009, आर. ओ. सी. उ0 प्र0 एवं उत्तराखंड) पंजीकृत कार्यालय स्थित 18/1629/1–सी एन पी पुरम, ताजगंज, फतेहाबाद रोड, शहर आगरा द्वारा अधिकृत निदेशक एवं प्रतिनिधिगण–

1.1 श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री हरिश्चन्द्र निवासी 18/1629/1सी, एन पी पुरम, ताजगंज, फतेहाबाद रोड, शहर आगरा, व्यवसाय–व्यापार व

1.2 श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम गोपाल गुप्ता निवासी ई 14/15, रश्मि नगर, कमला नगर, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय–व्यापार।

तृतीयपक्ष की संख्या (पक्ष, सहमति/अनापत्ति प्रकट करने वालों का विवरण–

1. 1. श्री विजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल तथा निवासी 29/229, सुल्तानगंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा वर्तमान निवासी फ्लैट संख्या 902, नव ज्योति अपार्टमेन्ट्स, सुल्तानगंज चौराहा, बाई पास रोड शहर आगरा, व्यवसाय–व्यापार व

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For [illegible] Foundry

[illegible] Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

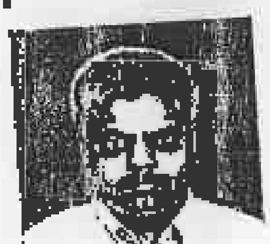

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

पाँच हज़ार रुपये

L 181737

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26 NOV 2009

2. नाम-- श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल उक्त वर्तमान
निवासी डी 147, सैक्टर 26, नोयडा, उत्तर प्रदेश, व्यवसाय व्यापार व

3. नाम- श्रीमती सुषमा अग्रवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश स्वरूप अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय
श्री केदार नाथ अग्रवाल उक्त निवासिन केअर ऑफ जैताराम आयरन फाउन्ड्री, जी टी.
रोड शाह बलाला, पंजाब, व्यवसाय–व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार अग्रवाल
पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी-147, सैक्टर-26, नोयडा, उत्तर
प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक
23/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 4 पृष्ठ संख्या 303 से 312 क्रमांक
36 बदफ्तर उप निबन्धक पंचम आगरा व

4. नाम- श्रीमती सुधा गुप्ता धर्मपत्नी श्री रवीन्द्र पाल गुप्ता पुत्री स्वर्गीय श्री केदार नाथ
अग्रवाल उक्त निवासिन हाउस संख्या 408, फोर्थ फ्लोर, [illegible] अपार्टमेन्ट्स, सैक्टर-14,
पंचकूला, शहर चन्डीगढ़, व्यवसाय–व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार अग्रवाल
पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी-147, सैक्टर-26, नोयडा, उत्तर
प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

DIRECTOR

For [illegible] Iron Foundry

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 181738

26 NOV 2009

23/11/2009 . मुद्रांक बही संख्या 4 जिल्द संख्या 84 पृष्ठ संख्या 313 से 322 क्रमांक 98 पदेनधारक उप निबंधक प्रथम आगरा ने

5. श्रीमती अंजू गुप्ता धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्री स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल उक्त निवासिनी 1, गांधीनगर कॉलोनी, मलाड (वेस्ट), मुम्बई, व्यवसाय–व्यापार।

उ0 प्र0 स्टाम्प अधिनियम सन 1890 की धारा 2(10) व 4 संपठित अनुसूची 1–बी के अनुच्छेद 23–ए व 5 (बी–1) व धारा 16 के अनुसार स्टाम्पित

– विक्रयपत्र मालियती 34,50,000/– चौंतीस लाख पचास हजार रुपया।

– एक किता भूमि नॉन जेड. ए. मिलजुमला खेत संख्या 318 से 324 व 832 व 833 ग्राम लश्कर पुर मुहाल घोघे लाल कक्का नगर एक, कॉरपोरेशन संख्या 26/232–ए वार्ड आगरा मय आवासीय पुराने निर्माण, कि जो संलग्नक मानचित्र में लाल रंग से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है और जिसके चारों ओर 50 मीटर की त्रिज्या में नये–पुराने आवासीय भवन व खुले भूखण्ड है, मय कुल हक्क व अधिकार मुतालिलका कि जिसकी सीमायें उपरोक्त दी गई हैं।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

DIRECTOR

For ... Foundry

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 181739

26 NOV 2009

– कुल क्षेत्रफल 277.59 वर्गमीटर कि जिसमें 18.29 वर्गमीटर में पुराने आर. सी. सी. के पटाव के आवासीय निर्माण बने है कि जिनकी आयु 60 वर्ष है कि जिसमें से 48 वर्ष की आयु बीत चुकी है और 11 वर्ष की आयु शेष है। ह्रास नियम प्रभावी है।

– कलक्टर आगरा द्वारा स्टाम्प के लिये उप निबन्धक प्रथम आगरा सदर के क्षेत्र 'लश्करपुर' के लिये उ0 प्र0 स्टाम्प नियमावली वर्ष 1997 के नियम 4 (2) में जाँच के उपरान्त अपने आदेश पत्रांक क्र0/स्टा0 सहा0 दिनांक 11/08/2009 को द्वारा भूमि की दर 10,000/– रुपया प्रति वर्गमीटर घोषित की है। आर. सी. सी. के पटाव के निर्माण के लिये दर 6,500/– रुपया प्रति वर्गमीटर है। तीस वर्ष से अधिक पुराने निर्माणों पर ह्रास नियम प्रभावी है।

– उक्त दर व ह्रास नियम व वास्तविक विक्रयमूल्य के अनुसार इस विक्रयपत्र पर स्टाम्प के लिये बाजारी मूल्य 34,50,000/– रुपया पर 5+2 कुल 7 प्रतिशत की दर से विक्रमूल्य 2,41,500/– रुपया का स्टाम्प देय है जिस में से पंजीकृत विक्रय के अनुबन्धपत्र लेख दिनांक 15/07/2009 व निबन्धन दिनांक 15/07/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 1 जिल्द संख्या 8603 पृष्ठ संख्या 241 से 274 क्रमांक 2712 बदफ्तर उप निबन्धक प्रथम आगरा सदर पर उक्त धारा 4 सपठित अनुच्छेद

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For B. [illegible] Foundry

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

L 181668

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अख्तरलिख खाँ
कोषाधिकारी
VC9
26 NOV 2008
आगरा
कोषागार, आगरा

(बी-१) के अनुसार 69,000/- रुपया का स्टाम्प द्वितीयपक्ष ने अदा कर दिया है कि जो इस विक्रयपत्र में उक्त अनुच्छेद एवं धारा 18 के अनुसार मुजरा लेकर शेष 1,72,800/- रुपया का स्टाम्प केता द्वितीयपक्ष ने अदा किया है।

विक्रयपत्र

हम कि –

1. श्री जुगल किशोर अग्रवाल उक्त व
2. श्रीमती सीमा अग्रवाल उक्त व
3. कुमारी तनवी अग्रवाल उक्त व
4. श्रीमती प्रीति अग्रवाल उक्त, - भूमि के पट्टाधारक एवं निर्माणों के स्थायी विक्रेतागण प्रथमपक्ष व
5. मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री उक्त – भूमि स्वामी विक्रेता द्वितीयपक्ष एवं।
6. मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड उक्त – केता तृतीयपक्ष व

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For B.C. Iron Foundry

Auth. Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 181669

अखलाख खाँ
कोषाधिकारी
26 NOV 2009
लोहामण्डी, आगरा

एवं।

7. श्री विजय कुमार अग्रवाल उक्त व

8. श्री अजय कुमार अग्रवाल उक्त व

9. श्रीमती सुषमा अग्रवाल उक्त व

10. श्रीमती सुधा गुप्ता उक्त व

11. श्रीमती अंजू गुप्ता उक्त — सहमति / अनापत्ति प्रकट करने वाला चतुर्थपक्ष है।

विदित हो कि —

1. यह कि एक किता आराजी नोन जेड. ए. स्थित ग्राम लश्कर पुर तहसील व जिला आगरा मुहाल चौधे लाल खाता नम्बर एक तादादी तीन बीघा चौदह बिस्वा, कि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, की श्रीमती विद्यावती देवी मालिक व काबिज व जिमींदार थीं।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

Director

Priti Bansal

For ... Foundry
Authorised Signatory

अन्जू गुप्ता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 181670

अखलाख खाँ
कोषाधिकारी
26 NOV 2009
कोषागार, आगरा

खसरा संख्या—	रकबा बिस्वा में
318	12
319	7
320	6
321	12
322	7
323	3
324	17
632	5
633	9
किता नौ	तीन बीघा चौदह बिस्वा
लगानी	रुपया 54/25 पैसे साल

4.1 यह कि उक्त श्रीमती विद्यावती देवी ने उक्त पट्टाशुदा भूमि का मालिकाना हकों को द्वारा विक्रयपत्र लिखित श्रीमती विद्यावती उक्त बहक लाल चानन लाल पुत्र लाल चांद मुकन्द अग्रवाल निवासी मोहल्ला मण्डारी कस्बा बटाला जिला गुरुदासपुर, पूर्वी पंजाब लेख दिनांक 23/12/1957 व निबन्धन दिनांक 27/12/1957 मुन्दर्जा बही

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

For ... Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 181674

26 NOV

बही 1 जिल्द संख्या 1401 पृष्ठ 219 से 222 क्रमांक 4976 व मुसन्ना क्रमांक 4977 दफ्तर उप निबन्धक आगरा के उक्त ला0 चमन लाल को निष्कय कर दिया।

1.2 यह कि उक्त लाला लाल की उक्त भूमि पर ला0 काशी नाथ अग्रवाल पुत्र ला0 कामता प्रसाद ने अपने निजीधन पर अपना एक मकान संख्या 3682 हरीपर्वत वार्ड आगरा का निर्माण कराया। बाद में उन्होंने अपने इस मकान की तहती भूमि को इकरारनामा लिखित काशीनाथ अग्रवाल उक्त व लाल चमन लाल नौरतुमा, याददाश्त दिनांक 10/09/1958 व निष्पादन दिनांक 15/12/1958 मुन्दर्जी बही संख्या 1 जिल्द सं0 1464 पृष्ठ 54 से 57 क्रमांक – दफ्तर उप निबन्धक आगरा के दिनांक 10/12/1958 से तादाद 84 वर्ष के वास्ते किराया 10/– रुपया सालाना के श्री चमन लाल से पट्टे पर प्राप्त करके पट्टाशुदा भूमि के पट्टाधारक बने।

1.3 यह कि लाला काशीनाथ अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शीला देवी व पुत्रगण श्री जगदीश प्रसाद व श्री महावीर प्रसाद व श्री विष्णु प्रसाद के मध्य दिनांक 29/11/1967 को आपसी सहमति से लिखित बंटवारा हो गया। जिसके आधार पर जायदाद मजकूर श्री विष्णु प्रसाद के हक में प्राप्त हुई। श्री विष्णु प्रसाद का दिनांक

FOR S... INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT.LTD

Priti Bansal

अन्नू गुप्ता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 181675

23/01/2000 को निधन हो गया। उन्होंने अपने वारिसान के रुप में प्रथम पत्नी श्रीमती कोकिला अग्रवाल से पैदा एक पुत्र श्री जुगल किशोर व एक पुत्री श्रीमती प्रीति अग्रवाल तथा द्वितीय विवाह की पत्नी श्रीमती सीमा एवं एक पुत्री कुमारी सच्ची को वारिसान के रुप में छोड़ा। श्रीमती कोकिला अग्रवाल का दिनांक 09/08/1985 को निधन हो गया। उनके निधन के पश्चात श्री विष्णु प्रसाद ने द्वितीय विवाह श्रीमती सीमा से किया था। इस प्रकार प्रथमपक्ष बतौर वारिसान श्री विष्णु प्रसाद के उक्त जायदाद पर बहैसियत मालिक व तहती जमीन पट्टाशुदा के बहैसियत पट्टेदार काबिज व दखील चले आते हैं।

1.4 यह कि उपरोक्त विवरणानुसार उक्त प्रथमपक्ष उक्त मकान संख्या 26/232 ए के निर्माण के अकेले पूर्णतः मालिक व काबिज हैं और उसकी तहती भूमि के एकल पट्टाधारक हैं।

1.5 यह कि उक्त मकान व तहती पट्टाशुदा भूमि में अन्य कोई हकदार या दखीलकार आदि किसी भी प्रकार का नहीं है कि जो प्रथमपक्ष को उक्त मकान व तहती पट्टाशुदा भूमि या उसके भाग को बेचने आदि से रोक सके तथा उक्त मकान व

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD. FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

L 181676

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वाली पट्टाशुदा भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के भार, विक्रय, भार, जमानत, सौदे, डिक्री, इकरारनामा, कुर्की, रहन आदि आदि से पूर्णतः पाक व साफ है और उसपर कोई भार, मुकदमा या राजकीय आस्थगन आदि का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त भूमि घोषित हुआ है और न अधिग्रहित हुआ है और न कोई मुआवजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है तथा उक्त भूमि या उसके मूल विक्रयपत्र आदि किसी भी आड़ या जमानत आदि आदि में नहीं दिये गये हैं;

1.6 यह कि निर्माण पुराने होने के कारण जर्जर हो गये हैं और बहुत खराब दशा में है और उनका अधिकांश भाग गिर गया, अतः उसकी मात्र सुरक्षा की दृष्टि से इस दिया गया और मौजूदा निर्माण व पट्टाशुदा भूमि से प्रथमपक्ष को उनसे कोई विशेष लाभ नहीं है तथा प्रथमपक्ष अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के कारण उक्त मकान व वाली पट्टाशुदा भूमि को बाजार में अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किये जाने पर केवल द्वितीयपक्ष अपना लिये उपयुक्त पाकर उक्त भूमि को क्रय करने के लिये तैयार है एवं वर्तमान में सबसे अधिक कीमत अदा कर रहे हैं और वर्तमान में इससे अधिक कीमत मिलना सम्भव

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 651995

23 NOV 2009

[illegible], आगरा

नही है। अतः प्रथमपक्ष उक्त मकान एवं लगती फ्रीहोल्ड भूमि को द्वितीयपक्ष के पक्ष में विक्रय करने के लिये तैयार है।

2. यह कि उक्त ला० बालमुकन्द अग्रवाल का संयुक्त कारोबार था। उनके चार पुत्रगण सर्वश्री चानन लाल उक्त व मनोहर लाल व धर्मपाल व केदार नाथ थे। ला० चानन लाल ने उक्त भूमि को संयुक्त कारोबार के धन से क्रय किया था और उक्त भूमि के कुछ भाग पर निर्माण कराया, तदोपरान्त ला० चानन लाल का नामांकन नगर निगम आगरा के अभिलेखों में दर्ज हो गया।

3. यह कि ला० चानन लाल ने अपने पिता ला० बाल मुकन्द अग्रवाल तथा अपने भाई ला० केदार नाथ व उनके पुत्र श्री नंद किशोर पुत्र ला० केदार नाथ एवं अपने पुत्र श्री राज कुमार को भागीदार बनाते हुये एक भागीदारी फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री (बाल मुकन्द चानन लाल) का द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 22/03/1977 को गठन किया। फर्म के कारोबार का संचालन उक्त भूमि पर बने हुये उक्त भवन एवं शेष खाली भूमि पर किया जाता था क्योंकि बाल मुकन्द का कारोबार संयुक्त था। ला० चानन लाल ने उक्त भूमि को अविभाजित हिन्दु परिवार के धन से क्रय किया था। अतः उक्त भूमि के

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 651996

23 [illegible] 2004

स्थापित एवं फर्म मैसर्स पी० सी० आयरन फाउण्ड्री के सम्बन्ध में पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो गये, जिनके सम्बन्ध में एक दीवानी वाद संख्या 165/1970 न्यायालय सिविल जज आगरा (केदार नाथ बनाम चमन लाल) स्थापित हुआ, जिसके विरुद्ध एक सिविल रिवीजन संख्या 254/1900 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (केदार नाथ बनाम चमन लाल) स्थापित हुई। रिवीजन के दौरान पक्षकारों के मध्य इस आधार पर समझौता हो गया कि पक्षकारों के मध्य उक्त जायदाद एवं फर्म मैसर्स पी० सी० आयरन फाउण्ड्री के विवादों को मध्यस्थ के सुपुर्द कर दिया जावे। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04/1/1980 के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री बी० एस० माथुर को पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों का निस्तारण करने हेतु मध्यस्थ नियुक्त किया। इस मध्य ला० चमन लाल का दिनांक 23/12/1980 को स्वर्गवास हो गया। मध्यस्थ के द्वारा दिनांक 20/03/1981 को अपना निर्णय (अवार्ड) पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध उक्त न्यायालय में पक्षकारों ने आपत्तियाँ प्रस्तुत की, परन्तु पक्षकारों के मध्य पुनः समझौता हो गया। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने मूल वाद संख्या 155/1970 न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज आगरा (केदार नाथ बनाम चमन

FOR SURYA INFRABUILD (P) PVT LTD
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (P) PVT LTD.
DIRECTOR

For [illegible]
Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 695013

30 NOV 2009

लाल) की पत्रावलि आदेश दिनांक 05/03/1984 के द्वारा स्थाई वाद का अंतिम निस्तारण करने के लिए उच्च न्यायालय में रखी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09/03/1984 के द्वारा वाद संख्या 155/1978 को राजीनामा दिनांक 05/03/1984 के आधार पर अंतिमरूप से निर्णीत कर दिया और तद्नुसार माननीय न्यायमूर्ति श्री जी० सी० माथुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 20/03/1981 की पुष्टि की। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 05/03/1984 अंतिम हो चुका है। राजीनामा में उपरोक्त जायदाद का स्वामित्व सभी पक्षकारों के द्वारा उक्त भागीदारी फर्म मैसर्स पी० सी० आयरन फाउण्ड्री आगरा का स्वीकार किया गया और ला० मदन लाल के विधिक उत्तराधिकारीगण, जो उक्त फर्म के भागीदार थे, वे अपने हिस्से का रुपया लेकर उक्त फर्म से निवृत्त (रिटायर) हो गये। परिणाम स्वरूप उक्त फर्म मैसर्स पी० सी० आयरन फाउण्ड्री में केवल श्री केदार नाथ व श्री नन्द किशोर भागीदार रह गये। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति मैसर्स पी० सी० आयरन फाउण्ड्री की सम्पत्ति है और वह उसकी एकमात्र मालिक व काबिज व दखील है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

DIRECTOR

अनु गुप्ता

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 325825

23 ... 2003

4. यह कि उक्त फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री के भागीदार स्व० केदार नाथ की मृत्यु दिनांक 10/03/2003 को हो गई। अतः उक्त फर्म का संविधान स्वतः भंग हो गया, फर्म का कारोबार बंद हो चुका है। स्व० केदार नाथ की अंतिम इच्छा के अनुसार एवं पारिवारिक व्यवस्था में उनके सभी उत्तराधिकारियों की सहमति पर उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल उक्त फर्म की भागीदार बन गई। इस सम्बन्ध में उक्त फर्म का संविधान द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 30/07/2003 के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार उक्त फर्म के केवल दो भागीदार श्री नंद किशोर एवं श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल हैं। यद्यपि उक्त फर्म का कारोबार बंद हो चुका है फिर भी पुराने कारोबार के कुछ देने-लेने आदि हैं।

5. यह कि उपरोक्त विवरणानुसार उक्त सीमांकित सम्पत्ति की लहरी भूमि की उक्त विक्रेता द्वितीयपक्ष फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री एकमात्र जिम्मेदार व मालिक है और आवासीय निर्माण के विधिवत प्रथमपक्ष मालिक व उक्त लहरी पट्टाशुदा भूमि के पट्टाधारक है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

Priti Bansal

6. यह कि उक्त सम्पत्ति दोनों विक्रेतागण के लिये उपयोगी नहीं है और पुरानी एवं जर्जर होने के कारण अधिकांश निर्माण गिर कर समाप्त हो चुके हैं और मौके की जो स्थिति है वह संलग्नक फोटो से स्पष्ट है।

7. यह कि उक्त सम्पत्ति में अन्य कोई दावेदार आदि किसी भी प्रकार का नहीं है और उक्त सम्पत्ति आज तक प्रत्येक प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे आदि से सर्वथा स्वच्छ एवं मुक्त है और उसका कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान या धर्मादा आदि का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त सीलिंग भूमि घोषित किया गया है और न कोई प्रतिकर आदि प्रथम या द्वितीयपक्ष ने प्राप्त किया है। उक्त दोनों पक्षों के अपने सभी वर्णित विलेख मौजूद हैं और किसी भी आड़ या जमानत आदि में नहीं दिये गये हैं।

8. यह कि उक्त सम्पत्ति से हम विक्रेतागण प्रथम या द्वितीयपक्ष को कोई लाभ नहीं है और निष्प्रयोजित होने के कारण उसकी देखभाल एवं करों की अदायगी में अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। अतः दोनों पक्षों ने एकमत से यह सुनिश्चित किया है कि दोनों पक्ष मिलकर यदि उक्त सम्पत्ति को विक्रय करेंगे तो अधिक धन प्राप्त होने की सम्भावना है। अतः इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किये जाने पर वर्तमान में केवल क्रेता तृतीयपक्ष ही सबसे अधिक मूल्य देने के लिये तैयार हो गये हैं, वर्तमान परिस्थितियों में इससे अधिक कीमत प्राप्त होना सम्भव नहीं है। अतः हम प्रथम एवं द्वितीयपक्ष मिलकर उक्त सीमांकित सम्पत्ति को क्रेता तृतीयपक्ष के पक्ष में विक्रय करने के लिये तैयार हैं।

9. यह कि विक्रेतागण प्रथमपक्ष ने उक्त सम्पत्ति के विक्रय का अनुबन्धपत्र लेख दिनांक 16/07/2009 व निबन्धन दिनांक 15/07/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 1 जिल्द संख्या 6603 पृष्ठ संख्या 241 से 274 क्रमांक 2712 दफ्तर उप निबन्धक प्रथम आगरा सदर, तृतीयपक्ष के साथ सशर्त तय किया जिसकी शर्तों के अनुसार प्रथमपक्ष अपने साथ उक्त विक्रेता द्वितीयपक्ष को इस विक्रयपत्र में शामिल करके उक्त सम्पत्ति को क्रेता तृतीयपक्ष के पक्ष में विक्रय करने के लिये तैयार हैं और इसमें विक्रेता द्वितीयपक्ष अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं।

10. यह कि चतुर्थपक्ष वरासतन श्रीमती कैलाशवंती अग्रवाल एवं श्री नंद किशोर अग्रवाल, कि जो उक्त विक्रेता द्वितीयपक्ष मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री के संवैधानिकरूप से भागीदार भी हैं, उक्त ला0 केदार नाथ अग्रवाल के प्राकृतिक उत्तराधिकारीगण हैं। ला0 केदार नाथ अग्रवाल की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके समस्त उत्तराधिकारीगण की उक्त पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार ला0 केदार नाथ अग्रवाल की उक्त भागीदारी फर्म में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवंती अग्रवाल मालिक व दावेदार बनी और अन्य उत्तराधिकारीगण अर्थात उक्त चतुर्थपक्ष का कोई हक या दावा आदि न तो स्थापित हुआ और न माना गया और उक्त फर्म में ला0 केदार नाथ अग्रवाल के स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवंती अग्रवाल भागीदार बन चुकी हैं। अतः चतुर्थपक्ष का उक्त सम्पत्ति में कोई हक या दावा आदि नहीं है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. ...

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. ...

DIRECTOR

अनु गुप्ता

अतः यह क्रेता तृतीयपक्ष के स्वत्व व अधिकार आदि की सुरक्षा के लिये एवं वास्तविक तथ्यों एवं घटनाक्रम की पुष्टि के लिये इस विक्रय में अपनी सहमति एवं अनापत्ति प्रकट करने के लिये पक्ष बने हैं।

11. यह कि उक्त सभी मुख्तारनामे यथाविधि निष्पादित एवं निबन्धित हुये हैं और आज तक कायम व बरकरार हैं और उनके किसी भी अधिकार आदि में कोई कमी नहीं हुई है और उनके निबन्धकागज संलग्न हैं।

अतः हम दोनों विक्रेतागण प्रथम एवं द्वितीयपक्ष ने संयुक्तरूप से जानकारी एवं सहमति सम्पुष्टपक्ष के स्वेच्छा तथा प्रसन्नतापूर्वक स्वस्थ चित्त मन बुद्धि से बिना बहकाये सिखाये दबाव नाजायज के कुल योग सम्पूर्ण स्थित भूमि क्षेत्रफल 277.60 वर्गमीटर मिनजुमला खेत संख्या 318 से 324 व 632 व 633 ग्राम लश्कर पुर मौजा चौथे लाल कब्जा नम्बर एक व उस पर बने आवासीय पुराने निर्माण कॉर्पोरेशन संख्या 28/232–ए, हरीपर्वत वार्ड आगरा, कि जो संलग्नक मानचित्र में लाल रंग से दिखाया गया है, को समस्त स्वत्व व अधिकार व हित व लाभ व नामांकन के अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी अधिकार आदि के बाजारी कीमत से बिलमुक्ता मबलग 34,50,000/– चौंतीस लाख पचास हजार रुपया कि आधे जिसके 17,25,000/– सत्रह लाख पच्चीस हजार रुपया होते हैं बदस्त मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, उक्त क्रेता तृतीयपक्ष, के शुद्ध टायटिल के साथ बैय कतई किया और बेच दिया।

बैयनामा संविदा इस प्रकार है –

1. यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने हिस्से की कीमत के कुल 29,00,000/– उनतीस लाख रुपया एवं विक्रेता द्वितीयपक्ष ने अपने हिस्से की कीमत के कुल 5,50,000/– पाँच लाख पचास हजार रुपया इस विक्रयपत्र के निष्पादन से पूर्व नीचे लिखे विवरणानुसार क्रेता तृतीयपक्ष से प्राप्त करके भुगतान लिया। इस तरह विक्रेतागण को कोई रुपया पाना बाकी नहीं है और न भविष्य होगा।

2. यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष ने विक्रीत भूमि व निर्माण पर से अपना कब्जा व दखल हटा लिया और क्रेता तृतीयपक्ष का कब्जा व दखल बेची गई भूमि व निर्माण पर नाप व सीमाओं के अनुसार करा दिया और विक्रेता द्वितीयपक्ष ने विक्रीत भूमि का स्वामित्व क्रेता तृतीयपक्ष को देकर उक्त विक्रीत भूमि का पूर्णतः मालिक व काबिज बना दिया तथा शुद्ध टायटिल दे दिया।

3. यह कि दोनों विक्रेतागण के स्थान पर अब क्रेता तृतीयपक्ष उक्त सम्पत्ति एवं भूमि के आज से पूर्णतः मालिक व काबिज हो गये।

4. यह कि अब क्रेता तृतीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह उक्त विक्रीत सम्पत्ति एवं भूमि से बहैसियत मालिक व काबिज के चाहे जैसे लाभ उठाये। ऋण, विक्रय आदि करें। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे। निर्माण, नव–निर्माण आदि कराये और चाहे जिस प्रकार इस्तेमाल में लावें अथवा जो चाहे सो करें।

FOR SURYA

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA

DIRECTOR

5. यह कि क्रेता तृतीयपक्ष विक्रीत सम्पत्ति एवं भूमि पर अपना नामांतरण सम्बन्धित विभागों में करालें, दोनों विक्रेतागण अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

6. यह कि आज तक के बकाया लगान/कर आदि, यदि कोई होंगे, तो उन्हें प्रथमपक्ष अदा करेंगे और आज के बाद से क्रेता तृतीयपक्ष अदा करेंगे।

7. यह कि यदि भविष्य में कभी कोई दावेदार किसी भी प्रकार का उक्त विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा क्रेता तृतीयपक्ष से करे और उसके कारण या किसी भी विक्रेतागण के डिफेक्टिव टाइटिल से या उनकी किसी गलत ब्यानी के कारण या विक्रीत भूमि पर पहले से कोई भार या चार्ज आदि पाये जाने के कारण या इस विक्रय या विक्रयपत्र मे कोई डिफेक्ट पाये जाने के कारण कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से उक्त बेची गई भूमि का द्वितीयपक्ष से निकल जावे तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरे समन मय सूद व हर्जा व खर्चा के बजिम्मे जात खास व जायदाद हरकिस्म विक्रेतागण व उनके समस्त उत्तराधिकारियों के है और आयन्दा होगा और इसमें विक्रेतागण व उनके सभी उत्तराधिकारियों को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. यह कि चतुर्थपक्ष का उक्त हस्तांतरित सम्पत्ति में न तो कोई हक या दावा आदि है और न उनके द्वारा हस्तांतरित किया गया है, बल्कि उनके पूर्ण संज्ञान में एवं उनकी पूर्ण सहमति पर प्रथमपक्ष ने उक्त सम्पत्ति को क्रेता तृतीयपक्ष के पक्ष में हस्तांतरित किया है। अतः यदि चतुर्थपक्ष या उनका कोई उत्तराधिकारी आदि इस हस्तांतरण के विपरीत किसी भी प्रकार का वाद–विवाद या मॉग आदि करेगा तो ऐसी दशा मे चतुर्थपक्ष एवं उनके उत्तराधिकारियों आदि की मॉग एवं समस्त प्रकार के दावे या झगड़े आदि पूर्णतः सिरे से शून्य एवं निष्प्रभावी होंगे और माने जायेंगे और उक्त दावे आदि के कारण जो कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से उक्त बेची गई भूमि का क्रेता तृतीयपक्ष से निकल जावे तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरे समन मय सूद व हर्जा व खर्चा के बजिम्मे जात खास व जायदाद हरकिस्म चतुर्थपक्ष व उनके समस्त उत्तराधिकारियों के है और आयन्दा होगा और इसमें चतुर्थपक्ष व उनके सभी उत्तराधिकारियों को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी।

9. यह कि इस विक्रय व विक्रयपत्र को सम्पूर्णता प्रदान करने के लिये यदि किसी विलेख, शपथपत्र आदि के निष्पादन, निबन्धन आदि की आवश्यकता होगी तो क्रेता तृतीयपक्ष की मॉग व खर्चे पर दोनों विक्रेतागण व चतुर्थपक्ष निष्पादित व निबन्धित करने के लिये बाध्य है और रहेंगे।

10. यह कि उक्त अनुबन्धपत्र एवं इस विक्रयपत्र का कुल खर्चा क्रेता तृतीयपक्ष के जिम्मे है। यह मूल विक्रयपत्र क्रेता तृतीयपक्ष के पास रहेगा। दोनों विक्रेतागण ने अपनी विधिक आवश्यकताओं के लिये इस विक्रयपत्र की फोटोस्टेट प्राप्त कर ली है।

11. यह कि विक्रेतागण ने उक्त कागजात क्रेता तृतीयपक्ष के सुपुर्द कर दिये हैं।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

Authorised Signatory

12. यह कि इन पक्षों के स्थाई आयकर लेखा संख्या निम्नलिखित हैं: —

जुगल किशोर अग्रवाल श्रीमती सीमा अग्रवाल कुमारी तनवी अग्रवाल श्रीमती प्रीति अग्रवाल										
मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री	A	A	B	F	B	3	5	3	1	A
मैसर्स सूर्या इन्फाबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	A	A	M	C	S	3	5	6	3	R

13. यह कि प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल रुपया क्रेता तृतीयपक्ष से नीचे लिखे चैकों के द्वारा प्राप्त किये–

चैक सं0	दिनांक–	धनराशि–	बैंक
762253	23 / 06 / 2009	2,50,000 / –	पंजाब नेशनल बैंक,
762254	23 / 06 / 2009	2,50,000 / –	विक्टोरिया पार्क गंज शाखा
762265	15 / 09 / 2009	5,00,000 / –	आगरा
762274	16 / 11 / 2009	3,00,000 / –	
762288	02 / 12 / 2009	4,00,000 / –	
762289	02 / 12 / 2009	12,00,000 / –	
762290	02 / 12 / 2009	5,60,000 / –	
कुल योग	34,60,000 /	चौंतीस लाख पचास हजार रुपया मात्र।	

इस प्रकार दोनों विक्रेतागण को अब क्रेता तृतीयपक्ष से कोई रुपया पाना बाकी नहीं है।

इस विक्रयपत्र के वांछित 1,72,300 / – रुपया के स्टाम्प संलग्नक हैं।

उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना ... भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सन् 1908 की धारा 32–क के अनुसरण में निष्पादित ... अंगुलियों के चिन्ह विवरण।

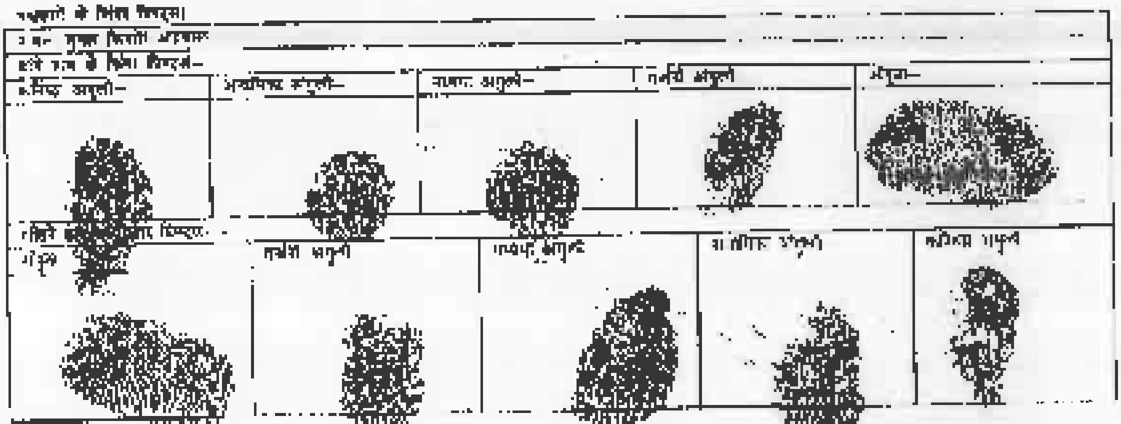

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For B. C. Iron Foundry

Signatory

Priti Bansal

नाम— [illegible]
बायें हाथ के चिन्ह निशान

कनिष्ठा अंगुली	अनामिका अंगुली	मध्यमा अंगुली	तर्जनी अंगुली	अंगूठा

दायें हाथ के चिन्ह निशान

अंगूठा	तर्जनी अंगुली	मध्यमा अंगुली	अनामिका अंगुली	कनिष्ठा अंगुली

नाम— [illegible]
बायें हाथ के चिन्ह निशान

कनिष्ठा अंगुली	अनामिका अंगुली	मध्यमा अंगुली	तर्जनी अंगुली	अंगूठा

दायें हाथ के चिन्ह निशान

अंगूठा	तर्जनी अंगुली	मध्यमा अंगुली	अनामिका अंगुली	कनिष्ठा अंगुली

नाम— [illegible]
बायें हाथ के चिन्ह निशान

कनिष्ठा अंगुली	अनामिका अंगुली	मध्यमा अंगुली	तर्जनी अंगुली	अंगूठा

दायें हाथ के चिन्ह निशान

अंगूठा	तर्जनी अंगुली	मध्यमा अंगुली	अनामिका अंगुली	कनिष्ठा अंगुली

नाम— [illegible]
बायें हाथ के चिन्ह निशान

कनिष्ठा अंगुली	अनामिका अंगुली	मध्यमा अंगुली	तर्जनी अंगुली	अंगूठा

दायें हाथ के चिन्ह निशान

अंगूठा	तर्जनी अंगुली	मध्यमा अंगुली	अनामिका अंगुली	कनिष्ठा अंगुली

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

Signatory

Priti Bansal

अन्जू गुप्ता

नाम- [illegible]

बांये हाथ के चिन्ह निशान-

कनिष्ठा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	तर्जनी अंगुली-	अंगूठा-

दांये हाथ के चिन्ह निशान-

अंगूठा-	तर्जनी अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	कनिष्ठा अंगुली-

नाम- [illegible]

बांये हाथ के चिन्ह निशान-

कनिष्ठा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	तर्जनी अंगुली-	अंगूठा-

दांये हाथ के चिन्ह निशान-

अंगूठा-	तर्जनी अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	कनिष्ठा अंगुली-

नाम- [illegible]

बांये हाथ के चिन्ह निशान-

कनिष्ठा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	तर्जनी अंगुली-	अंगूठा-

दांये हाथ के चिन्ह निशान-

अंगूठा-	तर्जनी अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	कनिष्ठा अंगुली-

नाम- [illegible]

बांये हाथ के चिन्ह निशान-

कनिष्ठा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	तर्जनी अंगुली-	अंगूठा-

दांये हाथ के चिन्ह निशान-

अंगूठा-	तर्जनी अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	कनिष्ठा अंगुली-

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

Auth. Signatory

Priti Bansal

अतः यह विक्रयपत्र उक्त पक्षों ने होश हवास में निष्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। लेख दिनांक 02 दो माह दिसम्बर वर्ष 2009 ईस्वी। इसका प्रारूप हनुमान प्रसाद कौशल दस्तावेज लेखक, सदर तहसील जिला आगरा पक्षकारों के निर्देशानुसार तैयार किया जिससे संतुष्ट होकर पक्षकारों ने इसे नीचे लिखे साक्षियों के समक्ष निष्पादित किया।

हस्ताक्षर जुगल किशोर अग्रवाल विक्रेता—	हस्ताक्षर श्रीमती सीमा अग्रवाल विक्रेती— ....
हस्ताक्षर [illegible] अग्रवाल [illegible]	हस्ताक्षर श्रीमती प्रीति अग्रवाल [illegible] .... Preeti Bansal
हस्ताक्षर अजय कुमार अग्रवाल [illegible] मुख्तार मिनजानिब श्री नंद किशोर [illegible] एवं श्रीमती [illegible] अग्रवाल भागीदार मैसर्स डी. बी. [illegible] Foundry	हस्ताक्षर विजय कुमार अग्रवाल सह[illegible] पक्ष— ....
हस्ताक्षर प्रमोद कुमार अधिकृत निदेशक मैसर्स सूर्य [illegible] लिमिटेड क्रेता—	हस्ताक्षर विनोद कुमार गुप्ता अधिकृत निदेशक मैसर्स सूर्या [illegible] लिमिटेड क्रेता— ....
हस्ताक्षर अजय कुमार अग्रवाल [illegible] मुख्तार मिनजानिब श्रीमती [illegible] अग्रवाल व श्रीमती सुधा गुप्ता [illegible] पक्ष—	हस्ताक्षर श्रीमती अंजू गुप्ता [illegible] पक्ष— .... अंजू गुप्ता
गवाह श्री .... पुत्र श्री .... निवासी	गवाह श्री .... पुत्र श्री .... निवासी ....

आज दिनांक 03/12/2009 को

बही सं 1 जिल्द सं 6740

पृष्ठ सं 145 से 196 पर क्रमांक 4742

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

ओ०पी० कठेरिया (प्रभारी)
उपनिबन्धक (प्रथम)
आगरा सदर
3/12/2009

SITE PLAN OF PROP. No. 26/292 A KHASRA No. 318, 524
522, 523 AJ... LASHKARPUR AGRA
OWNER:- SRI JUGAL KISHOR AGARWAL & OTHERS
SOLD TO: M/S SURYA INFRA BUILD (IND) PVT. LTD.
SHOWN IN RED COLOUR

TOTAL AREA :- 277.56 SQM
COVD. AREA :- 18.22 SQM

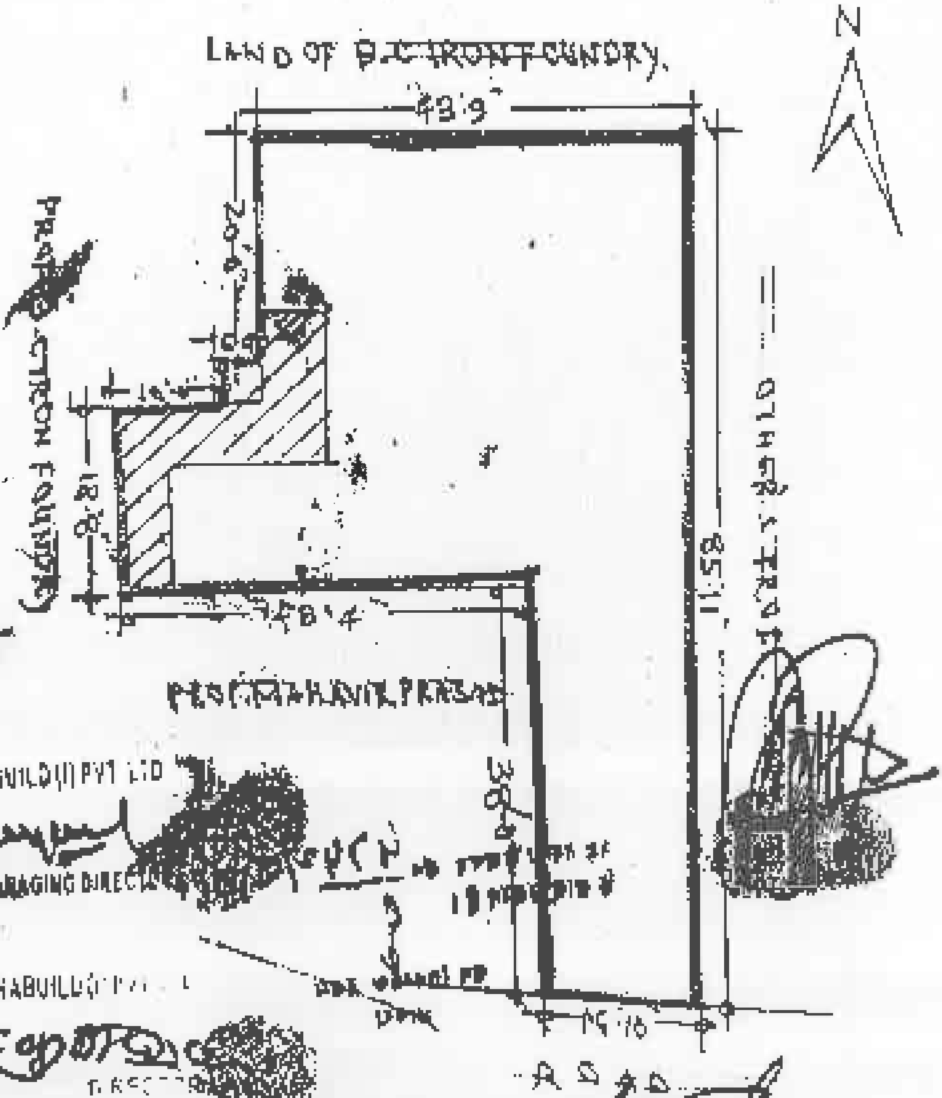

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD
DIRECTOR

SURESH CHAND
Surveyor/D. Man
17/66, Bundu Katra
AGRA